**FORM NO III**
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी अंराई मुकाम अराई (अजमेर)

- पवन कुमार पुत्र राधेश्याम जाति ब्राहमण निवासी फुलेरा जिला जयपुर राज0 व अन्य
  –प्रार्थीगण

**बनाम**

- इन्द्रा पत्नि रामलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम माला तहसील अराई जिला अजमेर व अन्य।
  –अप्रार्थीगण।

किस्म मुकदमा– धारा 111 व 128 भू0राजस्व अधिनियम 1956

नंबर 59/2025
ऑनलाइन नंबर 2025/..........

वकील प्राथीः– योगेश शर्मा

वकील अप्राथीगण........

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए |
|---|---|---|
| 24.9.2025 | यह वाद पत्र वादी की ओर से वकील प्रार्थी श्री योगेश शर्मा ने अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू0राजस्व अधि. 1956 के तहत पेश किया गया। वाद पत्र पर वकील प्रार्थी को सुना गया तथा पेश दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा अप्रार्थीगणों की तलबी जरिये सम्मन/रजि. डाक की जाकर पत्रावली दिनांक 17.10.2025 को पेश हो।<br>[signature]<br>उपखण्ड अधिकारी<br>अरांई | |
| 17.10.25 | पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप.। तामील रिपोर्ट प्राप्त नहीं। [illegible] तामील हेतु दिनांक 29.10.25 को पेश हो। | |
| 29.10.25 | पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप.।<br>तामील रिपोर्ट प्राप्त। [illegible]<br>...प्रस्तुत हो...<br>पत्रावली दिनांक 21.11.25 को पेश हो<br>[signature]<br>उपखण्ड अधिकारी<br>अरांई | |
| 21.11.25 | पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप.।<br>प्रतिवादीगण/अप्रा. [illegible] [illegible]<br>[illegible]<br>पत्रावली दिनांक 26.11.25 को पेश हो<br>[signature]<br>उपखण्ड अधिकारी<br>अरांई | |

26/11/2022: पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान हाजिर।
वकील वादी की बहस सुनी गई। वादी का
वाद खारिज किया जाता है। निर्णय पृथक
से तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया।
पत्रावली फैसलशुदा होकर रेकर्ड से भेजी जावे।

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अराई (अजमेर)

विधिक राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 32 / 2025

1. पवनकुमार पुत्र श्री राधेश्याम, जाति ब्राह्मण, निवासी फुलेरा, जिला जयपुर, राजस्थान
2. राजेंद धोबी पुत्र रामेश्वर, जाति धोबी, निवासी–पडासोली, तहसील दूदू जिला जयपुर, राजस्थान
3. लक्ष्मण राम पुत्र रामेश्वर, जाति धोबी, निवासी पडासोली, तहसील दूदू जिला जयपुर, राजस्थान
4. शंकर लाल पुत्र रामेश्वर लाल जाति धोबी, निवासी पडासोली, तहसील दूदू जिला जयपुर, राजस्थान
5. सत्यनारायण पुत्र राधेश्याम, जाति ब्राह्मण, निवासी पालम अपार्टमेन्ट, बिजवासन गांव, दिल्ली।

– प्रार्थीगण

बनाम

1. इन्द्रा पत्नि रामलाल, जाति गुर्जर, निवासी–ग्राम माला, तहसील अराई, जिला अजमेर, राजस्थान
2. गेखाँ पत्नि छीतर जाति गुर्जर, निवासी ग्राम माला, तहसील अराई, जिला अजमेर राजस्थान
3. गलोल पत्नि गोपी, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम माला, तहसील अराई, जिला अजमेर राजस्थान
4. पाना पत्नि गँगाराम जाति गुर्जर, निवासी ग्राम माला, तहसील अराई, जिला अजमेर राजस्थान
5. श्योजी पुत्र रामेश्वर जाति साद, निवासी ग्राम माला, तहसील अराई, जिला अजमेर राजस्थान
6. सीताराम पुत्र रामेश्वर जाति साद, निवासी–ग्राम माला, तहसील अराई,
7. घीसालाल पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी ग्राम माला, तहसील अराई. जिला अजमेर, राजस्थान
8. राजू पुत्र रामलाल जाति जाट, निवासी ग्राम माला, तहसील अराई, जिला अजमेर राजस्थान
9. कैलाश चंद्र वैष्णव पुत्र हरि प्रसाद वैष्णव जाति साद, निवासी ग्राम माला, तहसील अराई, जिला अजमेर राजस्थान
10. विकास वैष्णव पुत्र राधेश्याम वैष्णव जाति साद, निवासी ग्राम माला, तहसील अराई, जिला अजमेर राजस्थान
11. रामदेव पुत्र दल्ला जाति गुर्जर, निवासी ग्राम माला तहसल अराई, जिला अजमेर राजस्थान
12. रतना पुत्र भूरा जाति बैरवा निवासी ग्राम माला तहसल अराई, जिला अजमेर राजस्थान
13. पांचू पुत्र नाथु जाति जाट, निवासी ग्राम केरिया, तहसील दूदू जिला अजमेर राजस्थान
14. भैरू पुत्र नाथु जाति जाट, निवासी ग्राम केरिया, तहसील दूदू जिला अजमेर राजस्थान
15. मंगल राम पुत्र रामकरण जाति जाट, निवासी ग्राम केरिया, तहसील दूदू जिला अजमेर राजस्थान
16. रामेश्वर भाकर पुत्र रामकरण जाति जाट, निवासी ग्राम केरिया, तहसील दूदू जिला अजमेर राजस्थान
17. श्रीमान् तहसीलदार महोदय, अराई जिला अजमेर राजस्थान

**निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम 1956 के तहत**

निर्णय दिनांक 26|11|2025

वकील वादी श्री योगेश शर्मा एडवोकेट

प्रार्थीगण की और से एक प्रार्थना पत्र वकील श्री योगेश शर्मा एडवोकेट .द्वारा अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया गया । वकील वादी ने निवेदन किया कि कि प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि के खसरा संख्या 278 क्षेत्रफल 2. 9367 हैक्टेयर (किस्म प.बारानी), कुल खसरा–1 का कुल क्षेत्रफल 2.9367 हैक्टेयर वाके ग्राम माला, पटवार हल्का गागून्दा, भू.अनि.क्षेत्र भोगादीत, तहसील अराई, जिला अजमेर राजस्थान में स्थित है, जिसमें प्रार्थीगण संख्या 1 व 5 का 1/4 एवं प्रार्थीगण संख्या 2. 3 व 4 का 1/6 हिस्सा है। प्रार्थीगण अपनी उपरोक्त वर्णित खातेदारी कृषि भूमि पर बदस्तूर खातेदार काश्तकार काबिज करते चले आ रहें है, तथा प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी का अमल दरामद है, तथा राजस्व नक्शा ट्रेस में भी प्रार्थीगण की भूमि का इन्द्राज चला आ रहा है। प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि जो निम्नानुसार स्थित है :–अ) कृषि भूमि खसरा संख्या 278

wp

क्षेत्रफल 2.9367 हैक्टेयर :—( प्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा संख्या 278 के दक्षिण दिशा में खसरा संख्या 284 क्षेत्रफल 0.2832 हैक्टेयर (किस्म प. बारानी) की कृषि भूमि स्थित है, जो अप्रार्थीगण संख्या 9 लगायत 10 व 5 लगायत 6 के नाम दर्ज है, एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 6 कि कृषि भूमि के खसरा संख्या 283 क्षेत्रफल 1.6585 हैक्टेयर (किस्म प.बारानी) की कृषि भूमि का खातेदार खसरा संख्या 278 के पश्चिम दिशा में अप्रार्थीगण संख्या 7 लगायत 8 की कृषि भूमि खसरा संख्या 225 क्षेत्रफल 1. 2135 हैक्टेयर (किस्म बंजर 1) कृषि भूमि स्थित है, तथा प्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा संख्या 278 के उत्तर दिशा में अप्रार्थीगण संख्या 11 की कृषि भूमि के खसरा संख्या 277 क्षेत्रफल 2.8800 हैक्टेयर (किस्म प.बारानी) कृषि भूमि स्थित है, तथा प्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 कि कृषि भूमि खसरा संख्या 278 के पूर्व दिशा में अप्रार्थीगण संख्या 12 की कृषि भूमि के खसरा संख्या 790/276 का क्षेत्रफल 0. 7389 हैक्टेयर (किस्म प.बारानी) कृषि भूमि स्थित है। एवं अप्रार्थीगण संख्या 13 लगायत 16 की कृषि भूमि के खसरा संख्या 279 का क्षेत्रफल 1.3591 हैक्टेयर (किस्म प.बारानी) कृषि भूमि स्थित है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 16 के मध्य उपरोक्त भूमियों का सीमा विवाद चला आ रहा है, तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 16 आये दिन प्रार्थीगण की भूमि की सीमाओं में हस्तक्षेप करते रहते है, जिससे प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 16 के मध्य लडाई–झगडा होता रहता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 16 आये दिन प्रार्थीगण की भूमि की सीमाओं से छेडछाड करते रहते है, तथा उसकी सीमाओं के संबंध में विवाद पैदा करते है। उपरोक्त खसरान् के मध्य सीमा विवाद होने की वजह से अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 16 द्वारा आये दिन प्रार्थीगण के साथ उसके खातेदारी भूमि के कृषि भूमि पर विवाद उत्पन्न करने की वजह से प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण संख्या 17 के कार्यालय में सीमाज्ञान करवाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर पटवारी महोदय, अराई द्वारा दिनांक 07.06.2025 को सीमाज्ञान कर मौका पर्चा बनाया गया। जिसके पश्चात् भी उक्त अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 16 द्वारा प्रार्थीगण की भूमि की सीमाओं को लेकर दिनांक 15.06.2025 को विवाद किया गया।
वाद कारण दिनांक 15.06.2025 को प्रार्थीगण के साथ अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 16 द्वारा सीमाओं के विवाद को लेकर प्रार्थीगण के साथ गाली गलौच करने से उत्पन्न हुआ है, तथा प्रार्थीगण के कृषि कार्य में अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 16 द्वारा बाधा कारित करने तथा प्रार्थीगण के साथ सीमाओं को लेकर वाद विवाद करते रहने से वाद कारण सतत् जारी है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण 1 लगायत 16 के मध्य स्पष्ट रेवेन्यू नक्शा ट्रेस राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, इसलिये प्रार्थीगण को उपरोक्त राजस्व नक्शा ट्रेस अनुसार सीमाओं के विवाद के निस्तारण हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण 1 लगातय 16 की खातेदारी भूमियों के राजस्व नक्शा ट्रेस अनुसार सीमाओं का भौतिक सत्यापन करवाकर पत्थरगढी करवायी जानी न्यायहित में आवश्यक है, ताकि सीमाओं का विवाद निस्तारित हो सके। पत्थरगढी का निवेदन किया है ।

प्रकरण दिनांक 24.9.2025 को दर्ज रजिस्टर किया गया । तथा नोटिस तामिली हेतु भिजवाये गये। तामिली रिपोर्ट प्राप्त हुई । बावजूद तामिली अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादीगण का जवाब बन्द किया गया। दिनांक 26.11.2025 को बहस सुनी गई । तहसीलदार अराई की जाच रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी मौके पर काबिज है ।

हमारे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन व मनन किया गया । वकील वादी की बहस सुनी गई । प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम माला तह0 अराई की कृषि भूमि खसरा संख्या 278 क्षेत्रफल 2.9367 हैक्टैयर का राजस्व रिकार्ड अनुसार मौके पर नाप चौक कर पत्थरगढी करने हेतु तहसीलदार अराई को कमिश्नर फीस 1000/—रु पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण द्वारा कमिश्नर फीस 1000/— रु जमा करवाने पर वे मौके पर उपस्थित होकर उक्त वाद ग्रस्त भूमि का पक्षकारान की उपस्थिति में नाप चौक कर पत्थरगढी के आदेश दिये जाते है।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 26/11/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
अराई (अजमेर)